



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी सरिता शर्मा W/O श्री रमेश्वर प्रलाद शर्मा  
514 आवास विकास कॉलोनी  
बाराबंकी

पत्रांक 120

नि० प्रा० २०१५/२२

दिनांक 20-4-2017

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 2/339/59 योजना ओबरी नगर बाराबंकी

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 32/637

के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 20-4-2017 से 19-4-2022 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा मम्मी हेतु 29, 10 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 30.69 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- 3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 02 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।
- 4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

~~मिश्र विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
प्रतिलिपि~~

पृ० सं० 120

/उपरोक्त

दिनांक 20-4-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- 02 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय ओबरी ओप्जली को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

~~मिश्र विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक  
प्रतिलिपि~~



## उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई... द्वितीय

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

### स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/ श्रीमती/ कुमारी कृष्ण शंकर पाण्डे  
4/258 आवास विकास लोलनी  
वाराबंकी

पत्रांक 119

नि० प्रा० २० १५/२१

दिनांक २०-४-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खसरा संख्या 4/258 योजना श्रीबरी नगर वाराबंकी

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २७.०३.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या 46/623 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानवित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानवित्र की अवधि (दिनांक २०-४-२०१७ से १९-४-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानवित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।
2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममी हेतु ३१.६४ वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये ५.७१.०६ वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
3. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- ०२ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
4. यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानवित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानवित्र निरस्त किया जाता है।
5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

१) विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ११९

/उपरोक्त

R.E.P.T.

ददृदिनांक २०-४-२०१७

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड ०२ उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद लखनऊ को स्वीकृत मानवित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय श्रीबरी लोलनी उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद वाराबंकी को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

२) विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

R.E.P.T.

२०१७



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई ३

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

("उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु")

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री / श्रीमती / श्रीमती

पवन कुमार साहू  
मो. तौपलाना

पत्रांक 164

जि. जालैन

नि० प्रा० 2017/43

दिनांक 9-5-2017

भवन/भूमि संख्या 2/339/53 योजना ज्ञालैन नगर बाबूगंगा

निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक 9-5-2017 के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या

..... के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

1. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक 9-5-2017 से 8-5-2023 तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों सहित मान्य होगा।

2. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, ज्ञालैन हेतु 29.10 वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये 31.51 वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।

3 भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड— 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से 14 दिन पूर्व देनी होगी।

4 यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।

5. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

6. 300 वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हारवेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

प० सं 164

/ उपरोक्त

/ ९८ तददिनांक 9-5-2017

प्रतिलिपि :-

1. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड 2 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद ललित को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय दिल्ली जगा उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद ललित को उपरोक्त शर्त सं. 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

विशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

१८



# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई

नीलगिरी काम्पलेक्स, द्वितीय तल, इन्दिरा नगर, लखनऊ

(“उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, अधिनियम 1965 के अन्तर्गत भवन निर्माण हेतु”)

## स्वीकृत-पत्र

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कुमारी विवेक कुमार दिवालकर ५० श्री धनीराम दिवालकर<sup>2</sup>  
१९/१२१६ इन्डिया नगर,  
लखनऊ

पत्रांक ७।

नि० प्रा० २०१७/१०

दिनांक २-३-२०१७

भवन/भूखण्ड संख्या/खस्ता संख्या २१३३९/१३ योजना ओबरी नगर बाराबंकी  
निर्माण करने सम्बन्धी आपके आवेदन पत्र दिनांक २२.०२.२०१७ के क्रम में नि० प्र० रजिस्टर संख्या २७/६२२  
के अनुसार निम्नलिखित शर्तों के साथ वर्तमान में प्रभावी भवन निर्माण उपविधि व अन्य नियमों, शासनादेशों  
के प्राविधानों के अनुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भविष्य में आप द्वारा दिये गये तथ्य/जानकारी को गलत  
पाये जाने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

१. स्वीकृत मानचित्र की अवधि (दिनांक २-३-२०१७ से १-३-२०२२ तक) पाँच वर्ष की होगी। निर्माण  
विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा व स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित किये गये संशोधनों  
सहित मान्य होगा।
२. यह स्वीकृति भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल तथा ममटी हेतु १०५.१० वर्ग मीटर निर्माण क्षेत्रफल के लिये  
१२७.५० वर्गमीटर भूखण्ड में प्रदान की गई है।
- ३ भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड- द्वितीय  
उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, को प्रारम्भ करने से १४ दिन पूर्व देनी होगी।
- ४ यदि इस भवन/भूखण्ड हेतु कोई मानचित्र पहले से स्वीकृत हो तब एतद् द्वारा यह मानचित्र निरस्त किया जाता है।
५. यदि नियमानुसार उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्बन्धित  
सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी से समय वृद्धि प्रमाणक प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
६. ३०० वर्गमीटर से ऊपर रेन वाटर हार्डेस्टिंग का प्राविधान किया जाना होगा।

प्रिशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

पृ० सं० ७।

/उपरोक्त

Front

तददिनांक २-३-२०१७

प्रतिलिपि :-

१. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड द्वितीय उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद... लखनऊ  
को स्वीकृत मानचित्र (एक प्रति सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
२. सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय इन्डिया नगर, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद... लखनऊ  
को उपरोक्त शर्त सं. ५ के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रिशेष कार्याधिकारी एवं वास्तुविद नियोजक

Front